प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Smt. Y.C.
N.I.C. समस्त DM/DD/DSWO व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित करें।

सेवा में,

1–निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2–निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3–निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
4–निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

सिद्धार्थ मिश्रा
छात्रवृत्ति अधिकारी नोडल
निदेशालय समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः–30 अगस्त, 2018

विषयः– **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र–2018–19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11–12) योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में अध्ययनरत, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन करने एवं अन्य समस्त कार्यवाही पूर्ण करने हेतु पूर्व निर्गत समय–सारिणी को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या–1954/स0क0/शिक्षा–अ/3/95/2018–19, दिनांक–28.08.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र–2018–19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11–12) योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में अध्ययनरत, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन करने एवं अन्य समस्त कार्यवाही पूर्ण करने हेतु पूर्व निर्गत समय–सारिणी को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–133/2018/1213/26–3–2018–4(358)/07 टी0सी0III दिनांक 02 मई 2018 द्वारा दशमोत्तर कक्षाओं के शिक्षण संस्थाओं/पाठ्यक्रमों आदि के मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने आदि से लेकर विभिन्न कार्यवाहियों हेतु वर्ष 2018–19 के लिये विस्तृत समय सारिणी जारी की गयी थी तथा शासनादेश संख्या 173/2018/2554/26–3–2018–4 (358)/07टी0सी0III दिनांक 13 अगस्त 2018 के अनुसार छात्रों को आनलाइन आवेदन करने हेतु दिनांक 01 जुलाई 2018 से 31 अगस्त 2018 तक का समय निर्धारित किया गया था। जनपदीय अधिकारियों, संस्थाओं तथा छात्रों द्वारा लगातार यह सूचित किया जा रहा है कि कई विश्वविद्यालयों द्वारा अभी तक परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया है जिससे कि छात्र अगली कक्षा में छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन का नवीनीकरण नहीं कर पा रहें हैं।

3– निदेशक, समाज कल्याण द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का परीक्षाफल सितम्बर माह में घोषित किया जाता है तथा नये सत्र में छात्रों का प्रवेश 01 अक्टूबर से प्रारम्भ किया जाता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ द्वारा संचालित छात्रवृत्ति पोर्टल की गति भी धीमी होने के कारण सभी छात्रों द्वारा समयानुसार आवेदन करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

FI (Scholarship) For n.a.p. 14.11.2018

for necessary action & kindly arrange to upload in student e notice portal. 13/11/18

उक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन करने की समय–सीमा को बढाया जाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे कि सभी पात्र छात्र छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकें। आनलाइन आवेदन करने से लेकर अन्य प्रकियात्मक कार्यवाहियों हेतु संशोधित समय–सारिणी का प्रस्ताव निम्नानुसार तैयार कर प्रेषित किया गया है:–

1–मास्टर डाटा से सम्बन्धित कार्यवाही की समय–सारिणी:–

क0 सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की वर्तमान समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु	कार्यवाही की प्रस्तावित समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु
1	2	3	4
1	प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर (अन्य प्रदेशों में) स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी/योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	07 अगस्त 2018 तक	यथावत्
2	सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना एवं परीक्षा परिणाम लागिन में यथा स्थान अपलोड करना।	08 अगस्त 2018 से 30 अगस्त 2018 तक।	08 अगस्त 2018 से 10 सितम्बर 2018 तक।
3	**योजनाधिकारी, वाहय प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित संस्थानों हेतु) एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना।** **नोट:–** **1–विश्वविद्यालय/अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी द्वारा सत्यापित किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित संस्था का डाटा सत्यापन हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी के लागिन पर समानान्तर रूप से लाक करने हेतु प्रदर्शित होगा।** **2–ऐसे पाठ्यकम जिनकी मान्यता प्रदेश के बाहर स्थित संस्थान से है, उनके पाठ्यक्रम, पाठ्कम का प्रकार तथा फीस आदि का विवरण सीधे जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लाक किया जायेगा।**	31 अगस्त 2018 से 20 सितम्बर 2018 तक	यथावत्

4–दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति –समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यकम एवं कक्षा 11–12 के छात्रों हेतु पूर्व शासनादेश संख्या 133/2018/1213/26–3–2018–4(358)/07टी0सी0III दिनांक 02 मई 2018 द्वारा जारी समय–सारिणी जिसके द्वारा छात्रवृत्ति वितरण समारोह 02 अक्टूबर 2018 को किया जाना है, की तिथियां यथावत् रहेगीं।

5–दिनांक 26 जनवरी 2019 को छात्रवृत्ति वितरण समारोह के लिये कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु संशोधित समय–सारिणी।

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की वर्तमान समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु	कार्यवाही की प्रस्तावित समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु
1	2	3	4
1	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01 जुलाई से 31 अगस्त 2018 तक	01 जुलाई से 10 अक्टूबर 2018 तक
2	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक एवं आय तथा आधार नम्बर) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
3	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 06 सितम्बर 2018 तक	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 16 अक्टूबर 2018 तक
4	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 जुलाई से 12 सितम्बर 2018 तक	02 जुलाई से 22 अक्टूबर 2018 तक
5	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	18 सितम्बर 2018 तक	30 अक्टूबर 2018 तक
6	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	13 सितम्बर से 20 अक्टूबर 2018 तक	23 अक्टूबर से 20 नवम्बर 2018 तक
7	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सही डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत एवं डिजिटल सिग्नेचर से सही डाटा लाक किया जाना।	30 अक्टूबर 2018 तक	15 दिसम्बर 2018 तक
8	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	21 अक्टूबर 2018 से 01 नवम्बर 2018 तक	21 नवम्बर 2018 से 01 दिसम्बर 2018 तक
9	ऑनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 04 नवम्बर 2018 तक	आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके फाईनल सबमिट करने के 02 दिन के अन्दर, विलम्बतम 03 दिसम्बर 2018 तक
10	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित	22 अक्टूबर 2018 से 07 नवम्बर 2018 तक	22 नवम्बर 2018 से 05 दिसम्बर 2018 तक

	एवं अग्रसारित करना।		
11	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	08 नवम्बर 2018 से 22 नवम्बर 2018 तक	06 दिसम्बर 2018 से 16 दिसम्बर 2018 तक
12	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा से अलग शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना।	28 नवम्बर 2018 तक	24 दिसम्बर 2018 तक
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	15 दिसम्बर 2018 तक	10 जनवरी 2019 तक
14	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	20 दिसम्बर 2018 तक	16 जनवरी 2019 तक
15	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (म. payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	31 दिसम्बर 2018 तक	24 जनवरी 2019 तक
16	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना।	26 जनवरी 2019 को	26 जनवरी 2019 को

उक्त समय-सारिणी के अनुसार दिनांक 31 अगस्त 2018 तक छात्रों द्वारा आनलाइन भरे गये आवेदन पत्रों में से नवीनीकरण के सही डाटा का परीक्षण कर दिनांक 01 अक्टूबर 2018 तक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण किया जायेगा तथा 10 अक्टूबर 2018 तक आनलाइन भरे गये नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के अवशेष आवेदन पत्रों की विभिन्न बिन्दुओं पर स्क्रूटनी करने के उपरान्त जनपद स्तर से डिजिटल लाक करने के उपरान्त 24 जनवरी 2019 तक धनराशि का छात्रों के बैंक खातों के माध्यम से पुनः वितरण किया जायेगा जिससे कि मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार की अपेक्षा के अनुरूप प्रत्येक जनपद में मा0 प्रभारी मंत्री/जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 02 अक्टूबर व 26 जनवरी को छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया जा सके।

अपर मुख्य सचिव, पिछडा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी उच्च स्तरीय बैठक के कार्यवृत्त पत्रांक 830/64-2-2018-527/2018 दिनांक 07 अगस्त 2018 द्वारा भी उक्तानुसार सभी पात्र बच्चों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दो किश्तों में क्रमशः 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को वितरण कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त मास्टर डाटा के बिन्दु संख्या-2 एवं प्रस्तावित समय-सारिणी के अनुसार बिन्दु संख्या-1 से 16 तक की समय-सीमा को पुनः निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों एवं उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

पृ0सं0— 181 / 2018 / 2874 (1) / 26—3—2018 तद्‌दिनांकः—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2— प्रमुख सचिव / सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण / अल्पसंख्यक कल्याण / वित्त / नियोजन / मा0शिक्षा / उच्च शिक्षा / तकनीकी शिक्षा / व्यवसायिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

3— समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5— निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

6— निदेशक, पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

7— कुल सचिव, अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

8— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9— निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

10— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 **द्वारा** निदेशक, समाज कल्याण।

11— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश

पत्रांक— **सी0—1986** / स0क0 / शिक्षा—अ / 03 / 95 / 2018—19, लखनऊः दिनांकः **30** अगस्त, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2— प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण / पिछड़ा वर्ग कल्याण / अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0।

3— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4— समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

5— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6— निदेशक, पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

7— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

8— समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

9— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

30.8.18

(पी0सी0 उपाध्याय)
अपर निदेशक

D.P Dwivedi g.o